राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2342/2025

नरेन्द्र सिंह चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. रिटर्निंग ऑफिसर, जिला नगरपालिका, जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश शर्मा/प्रज्ञा सेठ, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.07.2022 को अवैध घोषित किया जावे, जिसके कारण अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2017 के द्वारा परिनिंदा दण्ड़ के कारण रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 09.08.2012 के द्वारा हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.07.2022 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। चूंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा परिनिंदा का दण्ड़ दिया गया। उनका कथन है कि किसी कार्मिक की परिनिंदा के दण्ड़ के आधार पर पदोन्नति को नहीं रोका जा सकता। समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल

रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 जिसमें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 16.3 को अनुचित माना है और मात्र परिनिंदा के दण्ड़ के आधार पर कार्मिक की पदोन्नति को उचित नहीं माना है। इसी तरह एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7119/2022 झावर सिंह चारण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5880/2019 मुकेश मोदेपटेल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 एवं 06.09.2022 में ऐसे परिनिंदा के आधार पर रोके जाने वाली पदोन्नति को उचित नहीं माना है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिनिंदा के दण्ड़ के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति को रोका जाना विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.07.2022 को अवैध घोषित किया जावे, जिसके कारण अपीलार्थी को दिनांक 26.09.2017 के द्वारा परिनिंदा दण्ड़ के कारण रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुये दण्डादेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड़ से दण्डित किया गया है और परिपत्र दिनांक 26.07.2006 के क्रम संख्या 1 पर परिनिंदा के दण्ड को उल्लेखित करते हुये स्पष्ट अंकित किया गया है कि एक परिनिंदा के दण्ड़ हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किया जावेगा और अपीलार्थी को परिनिंदा का दण्ड़ दिया गया है और अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति से वंचित किया गया है। नियमानुसार अपीलार्थी आगामी डीपीसी वर्ष 2022–23 में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने योग्य था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया है, जो नियम विरूद्ध

है। अपीलार्थी को एक परिनिंदा दण्ड़ के आधार पर उक्त पदोन्नति से वंचित किया गया है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश में ऐसे मामलों में पदोन्नति से वंचित किया जाना अनुचित माना है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 09.08.2012 के द्वारा हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.07.2022 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। चूंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा परिनिंदा का दण्ड़ दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड़ से दण्ड़ित किये जाने पर उसे आगामी पदोन्नति से वंचित रखे जाने का प्रश्न है। आदेश दिनांक 26.09.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड़ से दण्डित किया गया है। जबकि परिनिंदा का दण्ड़ एक लघु दण्ड़ की परिभाषा में आता है, जिसे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.10.2024 द्वारा भी परिनिंदा के दण्ड़ को लघु दण्ड़ मानते हुये वर्ष 2024–25 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड़ के आधार पर व परिनिंदा दण्ड़ के आधार पर कर्मचारी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति से ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड़ के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or*

withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30.05.2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27.12.2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26.10.2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2153/2004 विजय कृष्ण व्यास बनाम आयुक्त, आबकारी विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5715/1997 हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2010 जिसमें *''सेवा विधि–प्रोनति–याची के विरूद्ध संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों को रोक की शास्ति अधिरोपित की गई–उक्त शास्ती के पश्चात् परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित–याची के विरूद्ध अन्य कोई टिप्पणी नहीं–सेवाभिलेख के अच्छा न होने का कोई अभिकथन नहीं–प्रोनति का मानदंड ज्येष्ठता सहयोग्यता होने से चेतावनी की शास्ति पर प्रोनति का विचारित रखा जाना न्यायोचित नहीं–केवल न्यूनतम योग्यता ही आवश्यक है–1995–96 की रिक्तियों के लिये याची को हकदार माना गया''* और इस प्रकार उक्त मामले में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"In view of what has been discussed above, action of the Respondents/DPC in judging the petitioner not suitable for promotion soiely on the ground that he was awarded penalty of censure, despite criteria of promotion being seniority-cum-merit, cannot be said to be legal and justified because for considering the case for promotion on the criteria of seniority-cum-merit for promotion, what is to be seen is the minimum necessary merit requisite for efficiency of administration and the senior even though less meritorlous, shall have primacy in the matter of promotion and comparative assessment of merit is not required to be made.

In the result, this writ petition deserves to be partly allowed and it is accordingly partly allowed. The petitioner is held entitled to promotion against the vacancy of the year 1995-96, if this juniors were

promoted on the criteria of seniority-cum-merit from such date. The petitioner shall also be entitled to get all the consequential benefits with interest at the rate of 6% per annum."

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तथा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर एवं रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो उसे भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य